न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 167/2017

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख उम्र 40 वर्ष निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. चरणजीत कौर (पुत्री श्री गुरजन्ट सिंह) पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जाखण दादी की ढ़ाणी, रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
3. सर्वजीत कौर (पुत्री श्री गुरजन्ट सिंह) पत्नो श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम खुनी चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. राजविन्द्र कौर (पुत्री श्री गुरजन्ट सिंह) पत्नी श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम रोड़ी तहसील कालयांवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोषी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 18.09.2017**

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 10 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 39/24 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 48 की कुल 2.592 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम 1/7 हिस्सा यानि 0.370 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 की कुल 7.947 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 2.492 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्ट सिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 10 क्यू के खाता संख्या 39/24 व खाता संख्या 40/23 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी/वादी के दादाजी के स्वर्गवास होने के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के दादाजी के अन्य वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई । प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने के अधिकारी है।

लगातार 2

वादी शादी शुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 10 क्यू की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.771 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला
गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.721 हैक्टर नहरी/बारानी मय ख़ाला

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 10 क्यू के खाता संख्या 40/23 की कृषि भूमि में से वादी को 1.771 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 02.08.2017 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.771 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला वादी (गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) की घोषित की जावे ।

लगातार 3

2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक दिनांक 08.09.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.771 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला वादी (गुरप्रीत सिंह) को घरेलू बंटवारानुसार दी हुई है।

अतः चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 (गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह) के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.771 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि वादी (गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि 10 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39/24 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 48 की कुल 2.592 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह के नाम 1/7 हिस्सा यानि 0.370 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 की कुल 7.947 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 2.492 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत

चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 40/23 के मुरब्बा नम्बर 20, 34, 39 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्टसिंह पुत्र चनन सिंह के नाम दर्ज 2.492 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.771 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि वादी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) को खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 5

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 8.09.2017 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर